

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 47]

दिल्ली, दिसम्बर 25—दिसम्बर 31, 2009, बृहस्पतिवार/पौष 4—पौष 10, 1931

[रा.रा.रा.क्षेदि सं 267,269]

No. 47]

DELHI, DECEMBER 25—DECEMBER 31, 2009, THURSDAY/PAUSA 4—PAUSA 10, 1931

[N.C.T.D. Nos. 267, 269]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण
 आदेश

दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2009

संख्या. फा. 10 (937)/मु.स.(मुख्या)/स.शु./08/9263.—

गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि मैसर्स इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कम्पनी लि. हिमाद्री राजघाट, पावर हाउस कम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110002, द्वारा जारी किए जाने वाले रुपये 497,54,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 14,00,00,001 से 63,75,40,000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रुपये 49,75,400 (रुपये उनचास लाख पिछहत्तर हजार चार सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
 मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,
 विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE
 AUTHORITY

ORDER

Delhi, the 22nd December, 2009

No. F. 10(937)COS(HQ)/Cons.Duty/08/9263.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Indraprastha Power Generation Company Limited, Himadri Rajghat, Power House Complex, New Delhi-110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 49,75,400 (Rs. Forty Nine Lac Seventy Five Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 497, 54,00,000 for equity shares certificate with Distinctive Nos. 14,00,00,001 to 63,75,40,000 to be issued by the said company.

By Order, of the
 Chief Controlling Revenue Authority
 Govt. of National Capital Territory of Delhi
 VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)